न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेव सिंह हाडा

111/13 तारीख रजू– 01/07/2013

दत्तक पुत्र बजरंगलाल उम्र 47 साल जाति बलाई निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर।
———अपीलार्थी

बनाम

जडाव पुत्री बजरंगा पत्नि कल्लूराम जाति बलाई निवासी केमला तहसील नादोती जिला करौली।
जरिये तहसीलदार,वजीरपुर। ——— रेस्पोण्डेण्टस

———

निर्णय **दिनांक–05/11/2015.**

अपीलार्थी ने यह अपील तहसीलदार, वजीरपुर के नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 13 वाके ग्राम पीलोदा बाबत आराजी खसरा नम्बर 3738 रकवा 0.47 हेक्टर, 3740 रकवा 0.12 हेक्टर, 3741 रकवा 0.24 हेक्टर व 3742 रकवा 0.06 हेक्टर कुल किता 4 रकवा 0.89 हेक्टर भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के पिता की मृत्यु पर हिस्सा 1/3 का विरासत का नामन्तरकरण जो संख्या 1 के पक्ष मे स्वीकृत किया गया है को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 जरिये अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि बजरंगलाल के कोई पुत्र नही था उसने अपनी की सहमति अपने छोटे भाई हरि के पुत्र श्यामलाल को सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया तथा गोदपत्र 11/03/1985 को उप पंजीयन अधिकारी गंगापुरसिटी से तस्दीक करवाया अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि बजरंगलाल की मृत्यु पर सारे क्रियकर्म रीति रिवाज अपीलार्थी ने ही किये व बजरंगलाल की पुत्री जडावदेवी जिसकी शादी हो चुकी थी के सारे सामाजिक दायित्वो को जैसे भात, जामना, बार त्योहार मानना अपीलार्थी करता आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने पिता की मृत्यु पर ग्राम पीलोदा की आराजी खसरा नम्बर 3738 रकवा 0.47 हेक्टर, 3740 रकवा 0.12 हेक्टर, 3741 रकवा 0.24 हेक्टर व 3742 रकवा 0.06 हेक्टर कुल किता 4 रकवा 0.89 हेक्टर भूमि हिस्सा 1/3 का नामान्तरकरण तहसील मे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने नाम करवा लिया जबकि 1/2 हिस्सा तो पुत्र का माना जाना चाहिये था परन्तु अदालत मातहत ने भी उचित पडताल किये व अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन नामान्तरण रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया। चूंकि अपीलार्थी रजिस्टर्ड गोद पुत्र है उसे भी अपना 1/2 हिस्सा अपने पिता की खातेदारी भूमि का मिलना चाहिये। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि गोद की उम्र मीमो अपील मे 47 वर्ष बतायी है व गोदपत्र 11/03/1985 का है दस्तावेज से गोद के समय अपीलार्थी की उम्र 18 वर्ष आती है जकि नियमो मे 14 वर्ष से अधिक उम्र का गोद नही सकता। इसलिये गोदपत्र वैद्य नही है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि एडोप्शन रूल है कि यदि एक पुत्र है तो गोद नही जा सकता इस कारण भी गोदपत्र वैद्य नही है। अपील अध्यापक है, अध्यापक प्रमाणपत्र मे अपीलार्थी के असली पिता का नाम अंकित है। अतः

जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

अपील संख्या 111/13 श्यामलाल/जडावदेवी

अदालत द्वारा जो अपीलाधीन विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह उचित है। इसलिये अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किया नामान्तरण यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने उप पंजीयन गंगापुरसिटी का दिनांक 11/03/1985 के विक्रयपत्र की प्रमाणित छायाप्रति पेश की है तथा अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत किये गये आदेश मे अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किया गया हो ऐसा पत्रावली मे दस्तावेज से प्रतीत नही होता है। अतः नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को भी सुनना न्यायसंगत है जिसका प्रस्तुत प्रकरण मे अभाव पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 11/02/13 वाके ग्राम निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत तहसीलदार,वजीरपुर को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर